न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 59 आर 15/07–08

इदरीश अंसारी अपीलकर्ता

बनाम

भोंदले उरॉव प्रतिवादी

आदेश

12/
9.04.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 84/05–06 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 19.11.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
बाढु	57	1212	
		1236	2.17 एकड
		1237	
		1238	

अपील आवेदन में बताया गया है कि अपीलकर्ता का संबंध सिर्फ खेसरा संख्या 1212 रकबा 87 डिसमिल से है। यह जमीन खतियानी रैयत ने निबंधित प्रत्यार्पण पट्टा द्वारा 1941 में तत्कालीन जमींदार को प्रत्यार्पित किया। जमीन्दार ने निबंधित बंदोबस्ती द्वारा 18.11.1941 को विवादित जमीन कृपाल साहु को बंदोबस्त किया। कृपाल साहु के उत्तराधिकारियों निबंधित बिक्री पट्टा से 18.6.1953 को अपीलकर्ता के पिता को जमीन हस्तांतरित कर दिया। अपीलकर्ता तत्कालीन जमींदार एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। अपील आवेदन में दावा किया गया है कि इस मामले में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी का आवेदन कालबाधित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि सर्वे के दौरान भू–वापसी वाद 3.2.1985 को खारिज हो चुका है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमीन का प्रत्यार्पण कृषि बर्ष के दौरान किया गया है। इन्होंने बताया कि जमींदार प्रबल प्रताप सिंह ने कृपाल साहु को 18.11.1941 को हस्तांतरित किया। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा तीन गवाह प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलकर्ता ने सिर्फ एक गवाह प्रस्तुत किया।

अपील और निम्न न्यायालय के अभिलेख में मौजूद कागजातों तथा बहस के आलोक में यह निर्विवाद है कि खेसरा संख्या 1212, 1236, 1237, 1238 रकबा 2. 17 एकड़ भूमि को 13.09.1941 को खतियानी रैयत ने इस्तीफा दिया और 18.11. 1941 को भूतपूर्व जमींदार प्रबल प्रताप सिह ने कृपाल साहू को निबंधित दस्तावेज से बंदोबस्त कर दिया। 18.6.1953 को निबंधित वसीका द्वारा गोबरधन साहू पिता किरपाल साहू एवं अन्य ने खेसरा संख्या 1212 रकबा 87 डिसमिल भूमि को शेख गफूर को हस्तांतरण कर दिया। तदनुसार अंचल में नामांतरण हुआ और अपीलकर्ता मालगुजारी भी देते हैं।

इस प्रकार 1941 का इस्तीफा और उसी उसी बर्ष की बंदोबस्ती को देखा जाय तो भूमि हस्तांतरण हुए 66 बर्ष हो चुके हैं। दोनों अन्तरण निबंधित दस्तावेजों के जरिये हुआ है; ऐसी स्थिति में इनकी उपेक्षा का कोई आधार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कई नियमनों के अनुसार अन्तरण के 30 बर्षों के अन्दर ही वाद दायर किया जा सकता है और इस अवधि के पश्चात मामला कालबाधित हो जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में खेसरा संख्या 1212 रकबा 87 डिसमिल पर निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है और इस हद तक अपील स्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः— 09.04.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता
राँची।